

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

No. : 2013000094 Dated : 11/01/2013
Name : E.O.NAGAR PALIKA KUMHER Face Value : 15707
Address : KUMHER
Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Name : HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION DEPARTMENT , KUMHER
No. : 2013000140 Stamp Value : 0

Registration Fee	: 160	Commission Fee	: 0
Printing/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 790
Provision on Stamp Duty	: 80		
u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1230

Rs. One Thousand Two Hundred Thirty only

Sub Registrar
Kumher (Muzaffarpur) P.O.

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हर (भरतपुर) राज०

क्रमांक

(नगर निकाय का नाम)

दिनांक.....

राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष..... के माह..... के वे दिन नगर पालिका मण्डल कुम्हर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्बोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधक, प्रतिनिधि-अधिकारी मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे ।) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना..... राजस्व ग्राम..... के खसरा संख्या..... क्षेत्रफल..... में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है । और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये..... अंकें..... करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होंगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल..... प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा ।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी । किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये शासित होंगे ।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे । प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी ।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा ।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नहीं होगा ।

करखे का नाम.....
राजस्व ग्राम.....
खसरा नम्बर.....
योजना का नाम.....
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर.....

पूर्व..... 110 पश्चिम..... 11.13 फुट भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो..... सीमा उत्तर..... 35 फुट दक्षिण..... 35 फुट मानचित्र सलंगन है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20..... के माह..... क..... वें
दिन श्री.....



निम्न की उपस्थिति में
किये -



निवास स्थान.....

आज सन् 20..... के माह..... के
वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री.....
लीजधारक द्वारा कार्यालय..... में हस्ताक्षर
किये गये -

1 साक्षी :-

नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

2 नाम.....

पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

Handwritten signature and official stamp of the Municipal Council, Bhaironpur, dated 13/9/13.

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी

साक्षी

लीज धारक - द्वितीय पक्ष

Handwritten signature of a witness.

साक्षी

Handwritten signature of a witness.

साक्षी


Handwritten signature and name of the Municipal Council, Bhaironpur, dated 13/9/13.

नकशा भूमि खण्ड पट्टा हेतु श्री रतनसिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान वार्ड
 अर्धमासोड कस्बा कुम्हेर जिल्हा अहमदनगर



प्लान
 1:20

भूमि खण्ड क्र. 2152
 35'



५६१८ लोकोपदे

9173
 (02099) 321298

सचिव
 श्री रतनसिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था
 कुम्हेर (अहमदनगर) सडक

अर्धमासोड 10 कुम्हेर

नोट-नकशा सचिव हरिओम के वतामे अनुसार करीतु किया गया है।
 कुम्हेरंगे ले सीमित भूमि खण्ड श्री रतनसिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्था न हेतु दरजाया गया है।
 दस्ता.

23-11-2012
 (KHWINE)

आज दिनांक 11 माह January सन् 2013 को 17:33 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री A
उम्र 0 वर्ष, जाति _____ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER
(2013000141)

(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं० 2013000095 दिनांक 11/01/2013
पंजीयन शुल्क रू० 4700/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 2350/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 23490/-
कुल योग रू० 30840/-

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-E.O.NAGAR PALIKA KUMHER/A
Age:0, Caste-
Ocu.-G
R/O-KUMHER

(And Claimant)
1-HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION
DEPARTMENT /A
Age:0, Caste-
Ocu.-
R/O-KUMHER

ने लेखापत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 15707/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे से रू0 15707/-पूर्व में _____
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री BHARATLAL
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BALKISHAN उम्र 0 वर्ष
जाति व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER


2. श्री/श्रीमती/सुश्री AMAR SINGH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RATAN SINGH उम्र 0 वर्ष
जाति व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2013000140)
(Lease deed for local bodies (Patta))


उप पंजीयक, KUMHER








धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 469807
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 23490 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 4700 कुल रूपये 30840
जरिये रसीद संख्या 2013000095 दिनांक 11/01/2013
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रूपये 23490
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।


(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 11/01/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 404
में पृष्ठ संख्या 156 क्रम संख्या 2013000123 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1006
के पृष्ठ संख्या 15 से 20 पर
चस्पा किया गया।


(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))